न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या : 55 / 2024
तारीख रजू : 02.12.2024
निर्णय दिनांक : 18.03.2025
उनवान:

1. सत्यवीर पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

बनाम .....प्रार्थीगण

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिती :– श्री भूपेन्द्र कुमार योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि : प्रार्थी के पिता रामेश्वर जाति अहीर निवासी गण्डाला तह0 बहरोड की विरासत का इंतकाल चढाते समय प्रार्थी का नाम चढाते समय सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर दर्ज कर दिया। जबकि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज है जबकि कुछ आराजी मे प्रार्थी का सही नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.61 है0, 54 रकबा 0.29 है0, 152 रकबा 0.13 है0, 153 रकबा 0.42 है0, 157 रकबा 0.42 है0, 160 रकबा 0.54 है0, 160/291 रकबा 0.01 है0, 161 रकबा 0.43 है0, 166 रकबा 0.40 है0, 171 रकबा 0.30 है0, 174 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खातीवास मे कहीं सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर दर्ज है वहीं सतबीर पुत्र रामेश्वर दर्ज है जिनके स्थान पर सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत मे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित होकर, अपने प्रार्थना पत्र का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध इंतकाल सं0 42 वाके ग्राम खातीवास का अध्ययन किया गया । यह इंतकाल रामेश्वर पुत्र श्योलाल की विरासत का होशियार,सत्यनारायण बाबूलाल पि. रामेश्वर अहीर सा0 गण्डाला के नाम से खोला गया है। इंतकाल के आधार पर रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करते समय कहीं पर सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर, कहीं पर सतबीर पुत्र रामेश्वर कहीं पर सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जाना जाहीर होता है। जिन तीनो नामो का एक ही व्यक्ति होना सरपंच ग्राम जारी प्रमाण पत्र दिनांक 01.12.2024 से भी पुष्टि होती है तथा पत्रावली मे प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, सर्विस रिकार्ड एवं शिक्षा के रिकार्ड की फोटो प्रतियां पेश की हुई है जिन सभी मे सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज है इसके अलावा प्रार्थी के सही नाम सत्यवीर पुत्र रामेश्वर के नाम की जमाबन्दी पेश की गई है जिनमे इंतकाल सं0 42 के मुताबिक प्रार्थी के भाई होशियार व बाबूलाल पुत्रान रामेश्वर के नाम से भी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज खसरा नम्बरो मे अपने गलत नाम को शुद्ध करवाकर सही नाम दर्ज करवाना चाहता है। ऐसी स्थिती मे न्याय हित एवं लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 152 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम खातीवास तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के गलत नाम सतबीर पुत्र रामेश्वर को शुद्ध किया जाकर उसके स्थान पर सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 52 रकबा 0.61 है0, 54 रकबा 0.29 है0,160 रकबा 0.54 है0, 160/291 रकबा 0.01 है0, 161 रकबा 0.43 है0, 166 रकबा 0.40 है0, 171 रकबा 0.30 है0, 174 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खातीवास जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल रिकार्ड मे प्रार्थी के गलत नाम सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर को शुद्ध किया जाकर उसके स्थान पर सत्यवीर पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना को राजस्व रिकार्ड मे आदेश की पालना के लिए पत्र जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/3/25

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)